"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जून 2014— ज्येष्ठ 13, शक 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 27-2/2011/नौ/17-तीन (पार्ट). —छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र. (1)	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम (2)	छ. ग. लो. से. गारंटी अधि. 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है (3)	सेवा प्रदाय करने की समयसीमा (कार्यदिवस) (4)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) (5)	सक्षम प्राधिकारी (पदनाम) (6)	अपीलीय प्राधिकारी (पदनाम) (7)
संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा						
1.	चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय	चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में हुए जन्म/मृत्यु एवं मृत जन्म के लिए निर्धारित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना.	07 दिवस (कार्य दिवस)	संयुक्त संचालक सह अधीक्षक	अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय	संचालक चिकित्सा शिक्षा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	07 दिवस (कार्य दिवस)	संयुक्त संचालक सह अधीक्षक	अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय	संचालक चिकित्सा शिक्षा
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें						
1.	जिला चिकित्सालय	शासकीय जिला चिकित्सालय में जन्म/मृत्यु एवं मृत जन्म के लिए निर्धारित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना.	07 दिवस (कार्य दिवस)	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)
2.	30 बिस्तर या उससे अधिक की शासकीय संस्थाएं	30 बिस्तर या इससे अधिक की शासकीय संस्थाएं में हुए जन्म/मृत्यु एवं मृत जन्म के लिए निर्धारित प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना.	07 दिवस (कार्य दिवस)	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.